तारीख हुकम	दावा 30 / 2020 — हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज — जियोती शिक्षण संस्थान vs स्वामीशंकर	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06/8/2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.3.2021 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादी के हिस्से का विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ. डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताई। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 2440/भू.अ./21 दिनांक 13.07.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्क्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.08.2021 को खुले न्यायालय में रूबरू वकुलाय उभय पक्ष सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	F.D करें डी जावे।

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) : उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना**

जियोनी शिक्षण संस्थान **बनाम** भवानी शंकर आदि
–वादी– –प्रतिवादीगण–

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 30 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री हरिसिंह सैनी एडवोकेट– वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री फतेहसिंह सैनी एडवोकट प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 2440/भू.अ./21 दिनांक 13.07.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निज................×........................मुबलिग....................×........................बाबत.................×......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह......................×...............................फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......................×.............................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 06 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।